रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04052026-272226
CG-DL-E-04052026-272226

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 292] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 27, 2026/वैशाख 7, 1948
No. 292] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 27, 2026/VAISAKHA 7, 1948

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2026

सं.आरए–14026(13)/1/2024–सीईआरसी– केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 66 के साथ पठित धारा 178 की उप–धारा (1) और उप–धारा (2) के खंड (म), समय–समय पर यथा संशोधित दिनांक 28 जून, 2023 के एस.ओ.2825(ई) और दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 के एस.ओ. 5369(ई) के माध्यम से विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कार्बन क्रेडिट व्यापार स्कीम, 2023 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों के विनिमय के लिए कार्बन में बाजार के विकास के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है,

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा उपयोजन की सीमा

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों के क्रय और विक्रय हेतु निबंधन व शर्तें) विनियम, 2026 है।

(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं–

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) **"अधिनियम"** से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) **"प्रशासक"** से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अभिप्रेत है;

(ग) **'बैंकिंग और सीसीसी समर्पण'** से समय–समय पर यथा संशोधित कार्बन क्रेडिट व्यापार स्कीम, 2023 की धारा 12 के अधीन विकसित अनुपालन तंत्र के लिए विस्तृत क्रियाविधि में यथा उपबंधित सीसीसी का समर्पण और बैंकिंग अभिप्रेत है;

(घ) **"ब्यूरो"** से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 3 की उप–धारा (1) के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित सांविधिक निकाय, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अभिप्रेत है;

(ङ) **"कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र (सीसीसी)"** का वही अर्थ होगा जो समय–समय पर यथा संशोधित, कार्बन क्रेडिट स्कीम, 2023 की धारा 2 के खंड (घ) में उसे प्रदान किया गया है;

(च) **"कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस)"** से समय–समय पर यथा संशोधित, दिनांक 28.6.2023 के राजपत्र में विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी कार्बन क्रेडिट व्यापार स्कीम, 2023 अभिप्रेत है;

(छ) **"आयोग"** से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 76 की उप–धारा (1) में संदर्भित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) अभिप्रेत है;

(ज) **"अनुपालन तंत्र"** का वही अर्थ होगा जो समय–समय पर यथा संशोधित, कार्बन क्रेडिट व्यापार स्कीम, 2023 की धारा 2 के खंड (छ) में उसे प्रदान किया गया है;

(झ) **'अनुपालन वर्ष'** का वही अर्थ होगा जो समय–समय पर यथा संशोधित सीसीटीएस के अधीन अनुपालन तंत्र के लिए विस्तृत क्रियाविधि के अधीन उसे प्रदान किया गया है;

(ञ) **"ईसी अधिनियम"** से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) अभिप्रेत है;

(ट) **"ईपी अधिनियम"** से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है;

(ठ) **"फ्लोर कीमत"** से वह न्यूनतम कीमत अभिप्रेत है जिस पर कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों का व्यापार किया जाएगा;

(ड) **"फोरबियरेंस कीमत"** से वह अधिकतम कीमत अभिप्रेत है जिस पर कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों का व्यापार किया जाएगा;

(ढ) **'बाजार'** से वह मंच अभिप्रेत है जहाँ क्रेता और विक्रेता सीसीसी को खरीदते या बेचते हैं;

(ण) **"राष्ट्रीय संचालन समिति"** से भारतीय कार्बन बाजार के लिए केन्द्र सरकार द्वारा गठित समिति है जिसे समय–समय पर यथा संशोधित कार्बन क्रेडिट व्यापार स्कीम, 2023 की धारा 4 में यथा प्रदत्त कार्य सौंपे गए हैं;

(त) **"गैर–बाध्य इकाइयाँ"** का वही अर्थ होगा जो समय–समय पर यथा संशोधित कार्बन क्रेडिट व्यापार स्कीम, 2023 की धारा 2 के खंड (ट) में उसे प्रदान किया गया है;

(थ) **"बाध्य इकाइयाँ"** का वही अर्थ होगा जो समय–समय पर यथा संशोधित कार्बन क्रेडिट व्यापार स्कीम, 2023 की धारा 2 के खंड (ठ) में उसे प्रदान किया गया है;

(द) **"ऑफसेट तंत्र"** का वही अर्थ होगा जो कार्बन क्रेडिट व्यापार स्कीम, 2023 की धारा 2 के खंड (ठक) में उसे प्रदान किया गया है;

(ध) **"पावर एक्सचेंज"** से आयोग द्वारा जारी केविविआ (पावर बाजार) विनियम, 2021 और उसके संशोधन और पुनराधिनियमन में यथा परिभाषित पावर एक्सचेंज अभिप्रेत है;

(न) **"पावर बाजार विनियम"** से समय–समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पावर बाजार) विनियम, 2021 अभिप्रेत है;

(प) **"पंजीकृत इकाई"** का वही अर्थ होगा जो ईसी अधिनियम की धारा 2 के खंड (थक) में उसे प्रदान किया गया है;

(फ) **"रजिस्ट्री"** से समय–समय पर यथा संशोधित कार्बन क्रेडिट व्यापार स्कीम, 2023 के संबंध में इन विनियमों में यथा परिभाषित ऐसे कार्यों को करने के लिए विद्युत मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा नामित एजेंसी अभिप्रेत है;

(2) यथापूर्वोक्त के सिवाय और जब तक कि विषय–वस्तु के संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम, या ईसी अधिनियम या कार्बन क्रेडिट व्यापार स्कीम, 2023 या इस आयोग के किसी अन्य विनियमों या भारत सरकार द्वारा जारी किसी अन्य नियमों में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो क्रमशः अधिनियम, या ईसी अधिनियम या उसके अधीन जारी ऐसे अन्य नियमों या विनियमों में उन्हें प्रदान गया है।

3. उद्देश्य

इन विनियमों का उद्देश्य पावर एक्सचेंजों पर या सीसीटीएस के अनुसार पृथक आदेश द्वारा आयोग द्वारा यथा अनुज्ञात ऐसी किसी अन्य मोड के माध्यम से बाध्य और गैर–बाध्य इकाइयों के बीच कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों के विनिमय के लिए ढांचा तैयार करना है।

4. कार्यक्षेत्र

ये विनियम पावर एक्सचेंज (एक्सचेंजों) पर, या सीसीटीएस के अनुसरण में आयोग द्वारा यथा अनुज्ञात ऐसे किसी अन्य मोड के माध्यम से संव्यवहारों के लिए ऑफर किए गए सीसीसी पर और पावर बाजार विनियमों के उपबंधों के अनुसार लागू होंगे।

5. रजिस्ट्री–

इन विनियमों के उद्देश्य से, भारत का ग्रिड कंट्रोलर सीसीसी के एक्सचेंज के लिए रजिस्ट्री के रूप में कार्य करेगा और समय–समय पर यथा संशोधित सीसीटीएस, 2023 की धारा 6 के अनुसार इस उद्देश्य के लिए आवश्यक ढांचा तैयार करेगा।

6. प्रशासक के कार्य–

(1) ईसी अधिनियम के अधीन जारी सीसीसी के निपटान के उद्देश्य हेतु, ब्यूरो प्रशासक के रूप में कार्य करेगा

(2) इन विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, ब्यूरो –

(क) रजिस्ट्री के साथ परामर्श में कार्बन क्रेडिट व्यापार स्कीम के अनुसरण में, निम्नलिखित के लिए आयोग का अनुमोदन मांगने के बाद और जन परामर्श के बाद सीसीसी के संव्यवहारों के लिए विस्तृत क्रियाविधि का निर्माण करेगाः

i. पावर एक्सचेंज और रजिस्ट्री, प्रशासक और रजिस्ट्री, और रजिस्ट्री और बाध्य इकाइयों एवं गैर–बाध्य इकाइयों के बीच इंटरफेस गतिविधियाँ या सीसीटीएस के अनुसरण में आयोग द्वारा यथा अनुज्ञेय ऐसी अन्य गतिविधियाँ;

ii. रजिस्ट्री के साथ बाध्य और गैर–बाध्य इकाइयों का पंजीकरण;

iii. सीसीसी के संबंध में निपटान, अंतरण, और अन्य शेष मामले।

(ख) पावर एक्सचेंजों पर या सीसीटीएस के अनुसरण में यथा अनुज्ञेय ऐसे अन्य मोड में सीसीसी के संव्यवहार से संबंधित मामलों मेंआयोग को सहायता प्रदान करना;

(ग) सभी हितधारकों को सुसंगत बाजार सूचना प्रसारित करना;

(घ) निगरानी करना यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीसीसी के विनिमय पारदर्शी ढंग से हुए हैं और आयोग को इन विनियमों के गैर–अनुपालन की घटनाओं की रिपोर्ट करना;

(ङ) रजिस्ट्री को बाध्य इकाइयों और गैर–बाध्य इकाइयों से संबंधित सुसंगत सूचना प्रदान करना;

(च) सीसीसी से संबंधित ईपी अधिनियम और ईसी अधिनियम के अधीन सभी अनुपालन का पालन करना;

(छ) संबंधित बाध्य इकाइयों और गैर–बाध्य इकाइयों के लेखाओं से सीसीसी की समाप्ति के संबंध में रजिस्ट्री को सूचित करना; और

(ज) सीसीसी के विनिमय के लिए सुचारू इंटरफेस हेतु पावर एक्सचेंजों या आयोग द्वारा यथा निर्देशित ऐसी अन्य इकाई, और रजिस्ट्री के साथ समन्वय करना; और

(झ) इन विनियमों के अधीन यथा सौंपे गए ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना।

7. कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र का मान और वैधता–

(1) कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र का मान, समय–समय पर यथा संशोधित कार्बन क्रेडिट व्यापार स्कीम, 2023 की धारा 2 के उप–पैराग्राफ 1(ग) में यथा विनिर्दिष्ट होगा।

(2) कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र की वैधता, अनुपालन तंत्र के अधीन जारी प्रमाणपत्रों के लिए अनुपालन तंत्र हेतु विस्तृत क्रियाविधि में और समय–समय पर यथा संशोधित कार्बन क्रेडिट व्यापार स्कीम, 2023 की धारा 12 के अधीन विकसित ऑफसेट तंत्र के अधीन जारी प्रमाणपत्रों के लिए ऑफसेट तंत्र हेतु विस्तृत क्रियाविधि में यथा विनिर्दिष्ट होगी।

8. प्रमाणपत्रों की श्रेणी –

(1) सीसीसी को बाध्य और गैरबाध्य इकाइयों के लिए ब्यूरो द्वारा वर्गीकृत किया जाएगा।

(2) आयोग, इस ओर से किए गए आवेदन पर, पावर मार्केट विनियमों के अनुसार सीसीसी की इस प्रकार की श्रेणी की शुरूआत की अनुमति दे सकता है।

9. प्रमाणपत्रों में लेनदेन –

(1) जब तक कि अन्यथा सीसीटीएस के अनुसरण में आदेश द्वारा आयोग द्वारा विशेष रूप से अनुमति नहीं दी जाती है, तब तक सीसीसी केवल पावर एक्सचेंज के माध्यम से निपटाएगा और किसी अन्य ढंग से नहीं।

(2) सीसीएस से व्यवहार करने के लिए दो अलग बाज़ार खण्ड होंगे अर्थात् बाध्य इकाइयों के लिए अनुपालन बाजार और गैर बाध्य इकाइयों के ऑफसेट बाजार।

(3) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से ब्यूरो द्वारा बाध्य और गैरबाध्य इकाइयों को जारी किए गए और निर्धारित फीस के भुगतान पर सीसीसी रजिस्ट्री में क्रेडिट किए गए सीसीसी को किसी पावर एक्सचेंज में या सीसीटीएस के अनुरण में किसी अन्य यो मोड में संव्यवहार के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है और इस प्रकार के सीसीसी नियमावली, कारोबार नियमावली और संगत इकाइयों के उपविधियों, यथास्थिति, के अनुसार संव्यवहार के लिए उपलब्ध होंगे।

(4) सीसीसी के संव्यवहारों की फ्रिक्वेंसी मासिक आधार पर या आयोग द्वारा अनुमोदित क्रियाविधि के अनुसार सभी रजिस्टर्ड इकाइयों के लिए इस प्रकार की आवधिकता में होगी।

(5) सभी सीसीसी को समय समय से यथासंशोधित ईसी अधिनियम, 2001 के उपबंधों, ईपी अधिनियम, 1986, सीसीटीएस 2023 और इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार निपटाया जाएगा।

(6) पावर एक्सचेंजों या अनुमत्त इकाइयां पात्रता मानदण्ड, सीसीसी कीमत डिस्कवरी तंत्र और पावर एक्सचेंज या अनुमत्त किसी अन्य इकाई और रजिस्ट्री के बीच पारस्परिक क्रिया की प्रक्रिया को शामिल करते हुए नियमावली, कारोबार नियमावली और उपविधियों पर आयोग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा जिसमें अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा –

i. सभी बाध्य और गैरबाध्य इकाइयां जो पावर एक्सचेंज या अनुमत्त इकाई पर सीसीसी के संव्यहार में सहभागिता के लिए निर्दिष्ट हैं, पावर एक्सचेंज या अनुमत्त इकाई के साथ स्वंय को रजिस्टर करेंगे, और

ii. बाध्य और गैरबाध्य इकाई को निर्धारित फीस के भुगतान पर रजिस्ट्री में जारी किए और क्रेडिट किए गए सीसीसी को किसी पावर एक्सचेंजों या अनुमत्त इकाई जिसे सीसीसी धारक ठीक समझता है के लिए संव्यवहार के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार के सीसीसी इस प्रकार के पावर एक्सचेंजो या अनुमत्त इकाई की नियमावली, और उपविधियों के अनुसार संव्यवहार के लिए उपलब्ध होंगे।

(7) किसी बोली सत्र में, बाध्य और गैरबाध्य इकाई इसके रजिस्ट्री लेखा में रखी कुल सीसीसी की अधिकता में बिक्री बोलियां प्रस्तुत नहीं करेगी।

(8) संबंधित रजिस्ट्री लेखा में सीसीसी की उपलब्धता में सभी पावर एक्सचेंजो या अनुमत्त इकाई में प्रस्तुत संचयी बिक्री बोलियों को क्रॉस चेक करेंगे। यदि इस उपविनियम के उल्लंघन नोटिस किया जाता है, तो रजिस्ट्री इस प्रकार की बाध्य और गैरबाध्य इकाई को चूककर्ता के रूप में पावर एक्सचेंजो या अनुमत्त इकाई को सूचित करेगी और इस प्रकार की इकाई द्वारा प्रस्तुत किसी बोली पर कीमत डिस्कवरी के प्रयोजन के लिए पावर एक्सचेंजो या अनुमत्त इकाई द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोलियां रद्द और अप्रभावी हो जाएंगी यदि सभी पावर एक्सचेंजो या अनुमत्त इकाई पर इस प्रकार की इकाई द्वारा प्रस्तुत कुल बिक्री बोलियां उनके रजिस्ट्री लेखा में उपलब्ध सीसीसी की अपेक्षा अधिक हैं।

(9) तिमाही में उपविनियम 9 (8) में विनिर्दिष्ट चूक के तीन मामलों से अधिक वाली बाध्य और गैरबाध्य इकाईयों को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के उपबंधों के अनुसार लगाए जाने वाले देय किसी दण्ड के बावजूद अगले छः माह के लिए सीसीसी के संव्यवहार से रोका जाएगा। इसके प्रकार के चूककर्ता इकायों की सूची मासिक आधार पर रजिस्ट्री द्वारा प्रकाशित की जाएगी।

(10) पावर एक्सचेंजो या अनुमत्त इकाईनिम्नलिखित कार्य करेगी –

i. कार्यान्वित संव्यवहारों, वित्तीय बाध्य के रिपोर्ट भेजेगी और संबंधित इकाइयों को सभी अन्य संगत रिपोर्ट भेजेगी।

ii. प्रत्येक संव्यवहार सत्र के बाद रजिस्ट्री को रिपोर्ट भेजना और पात्र इकायों द्वारा संव्यवहारित सीसीसी के ब्योरे भेजना। पावर एक्सचेंजो या अनुमत्त इकाईपर सफल संव्यवहार होने पर, पात्र इकाइयों की रजिस्ट्री लेखों का अद्यतन किया जाएगा जिसके द्वारा विक्रेता लेखों को डेबिट किया जाएगा और क्रेता लेखों को क्रेडिट किया जाएगा।

10. बैंकिंग और सीसीसी का समर्पण

बैंकिंग और सीसीसी का समर्पण समय समय से यथासंशोधित सीसीटीएस 2023 के अनुपालन तंत्र और ऑफसेट तंत्र के लिए विस्तृत क्रियाविधि में यथाविनिर्दिष्ट होगा।

11. प्रमाणपत्र की कीमत–

(1) एक सीसीसी का मूल्यवर्ग सीसीटीएस स्कीम 2023 के खण्ड 2 (1) (ग) के अनुसार होगा जो प्राप्त ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जनों की कमी, निराकरण या परिहार के समतुल्य होगा और कार्बनडाईऑक्साइड समतुल्य (टीसीओ2ई) के एक टन के समतुल्य होगा।

(2) सीसीसी की बाजार कीमत आयोग द्वारा यथानुमोदित प्रक्रिया के माध्यम से अनुमत्त इकाई या संबंधित पावर एक्सचेंज पर यथा अन्वेषित होगी।

(3) सीसीसी का अनुपालन तंत्र के अंतर्गत फ्लोर एवं फोरबेयरन्स कीमत के अंदर विनिमेय होगा जो ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव पर आयोग द्वारा यथा अनुमोदित होगा।

(4) आयोग, आदेश द्वारा, पावर एक्सचेंजो या अनुमत्त इकाई या रजिस्ट्री को इस प्रकार के निर्देश दे सकता है जिसे वह यह संतुष्ट होने पर आवश्यक समझता है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में कोई अस्तित्व में है या गठित होना संभावित हैः

(क) सीसीसी की कीमतों में असामान्य वृद्धि या कमी;

(ख) सीसीसी की कीमतों में आकस्मिक अस्थिरता; और

(ग) पावर एक्सचेंजो या अनुमत्त इकाई पर सीसीसी का आकस्मिक उच्च या कम संव्यव्हार।

12. फीस एवं प्रभार

आयोग, ब्यूरो के साथ परामर्श करते हुए, आदेश द्वारा, रजिस्ट्री और सॉफ्टवेयर प्लेटफार्म के प्रबंधन के लिए लागत और व्यय की पूर्ति के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्री के लिए बाध्य और गैरबाध्य इकाइयों द्वारा प्रतिदेय फीस एवं प्रभारों को समय समय से निर्धारित कर सकता है।

13. बाजार निरीक्षण

ब्यूरो की सहायता से आयोग पावर मार्केट विनियमों के अनुसार पावर एक्सचेंजों या अनुमत्त इकाई पर सीसीसी के बाजार निरीक्षण का प्रयोग करेगा।

14. शिथिल करने की भाक्ति

आयोग, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए और शिथिलता प्रदान करने के लिए संभावित पार्टियों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इन विनियमों के किसी भी उपबंध को स्वप्रेरणा से या किसी प्रभावित व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन परशिथिल कर सकेगा।

15. दिशानिर्देश जारी करने की शक्तिः

यदि इन विनियमों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग, स्वप्रेरणा से या किसी प्रभावित पार्टी द्वारा दाखिल आवेदन पर, इस प्रकार के निर्देश जारी कर सकता है जिसे विनियमों के उद्देश्य एवं प्रयोजन के प्रोत्साहन में आवश्यक समझा जाता है।

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./61/2026-27]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2026

No RA-14026(13)/1/2024-CERC.— In exercise of powers conferred under sub- section(1) and clause (y) of sub-section (2) of section 178 read with Section 66 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), Carbon Credit Trading Scheme, 2023 notified by the Ministry of Power, Government of India vide S.O. 2825(E) dated the 28th June 2023 and S.O. 5369(E) dated 19th December 2023 as amended from time to time, for the development of market in carbon for exchange of Carbon Credit Certificates and all other powers enabling it in this behalf, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations,

1. SHORT TITLE, COMMENCEMENT AND EXTENT OF APPLICATION -

(1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Purchase and Sale of Carbon Credit Certificates) Regulations, 2026.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **DEFINITIONS -**

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,

a) "**Act**" means the Electricity Act, 2003(36 of 2003);

b) "**Administrator**" means the Bureau of Energy Efficiency;

c) **'Banking and Surrender of CCCs'** means banking and **surrender** of CCC as provided in the Detailed Procedure for Compliance Mechanism developed under Section 12 of the Carbon Credit Trading Scheme, 2023, as amended from time to time;

d) "**Bureau**" means the Bureau of Energy Efficiency, a statutory body established by the Government of India, under sub-section (1) of Section 3 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001);

e) "**Carbon Credit Certificate (CCC)**" shall have the same meaning as assigned to it in clause (d) of Section 2 of the Carbon Credit Trading Scheme, 2023, as amended from time to time;

f) "**Carbon Credit Trading Scheme (CCTS)**" means the Carbon Credit Trading Scheme, 2023, as issued by the Ministry of Power in the gazette dated 28.6.2023, as amended from time to time;

g) **"Commission"** means the Central Electricity Regulatory Commission (CERC) referred to in sub-section (1) of Section 76 of the Electricity Act, 2003;

h) **"Compliance Mechanism"** shall have the same meaning as assigned to it in clause (g) of Section 2 of the Carbon Credit Trading Scheme, 2023, as amended from time to time;

i) **'Compliance Year'** shall have the same meaning as assigned to it under the Detailed Procedure for Compliance Mechanism under CCTS, as amended from time to time;

j) "**EC Act**" means the Energy Conservation Act, 2001(52 of 2001);

k) **"EP Act"** means the Environment Protection Act 1986(29 of 1986);

l) **"Floor Price"** means the minimum price at which the Carbon Credit Certificates shall be traded.

m) **"Forbearance Price"** means the maximum price at which the Carbon Credit Certificates shall be traded.

n) **'Market'** means a platform where buyers and sellers buy or sell CCCs;

o) **"National Steering Committee"** means the Committee constituted by the Central Government for the Indian Carbon Market and assigned with such functions as given in Section 4 of the Carbon Credit Trading Scheme, 2023, as amended from time to time;

p) "**Non-Obligated Entities**" shall have the same meaning as assigned to it in clause (k) of Section 2 of the Carbon Credit Trading Scheme, 2023, as amended from time to time;

q) "**Obligated Entities**" shall have the same meaning as assigned to it in clause (l) of Section 2 of the Carbon Credit Trading Scheme, 2023, as amended from time to time;

r) "**Offset mechanism**" shall have the same meaning as assigned to it in clause (la) of Section 2 of the Carbon Credit Trading Scheme, 2023;

s) **"Power Exchange"** means the power exchange as defined in the CERC (Power Market) Regulations, 2021, issued by the Commission and includes the amendments and re-enactments thereof.

t) **"Power Market Regulations"** means the Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2021, as amended from time to time;

u) **"Registered entity**" shall have the same meaning as assigned to it in clause (qa) of Section 2 of the EC Act;

v) **"Registry"** means the agency designated by the Government of India in the Ministry of Power to perform such functions as defined in these regulations with respect to Carbon Credit Trading Scheme, 2023, as amended from time to time;

(2) Save as aforesaid and unless repugnant to the context of the subject matter otherwise requires, words and expressions used in these regulations and not defined, but defined in the Act or the EC Act or Carbon Credit Trading Scheme, 2023 or any other regulations of this Commission or any other rules issued by the Government of India shall have the meaning assigned to them respectively in the Act, or the EC Act or such other rules or regulations issued thereunder.

3. OBJECTIVE

The objective of these regulations is to create a framework for the exchange of Carbon Credit Certificates between the Obligated and the Non-Obligated entities on Power Exchanges or through such other mode as may be permitted by the Commission by a separate Order in accordance with the CCTS.

4. SCOPE

These regulations shall be applicable to the CCCs offered for transactions on

Power Exchange(s), or through such other mode as may be permitted by the Commission pursuant to the CCTS and in accordance with the provisions of the Power Market Regulations.

5. REGISTRY -

For the purpose of these Regulations, the Grid Controller of India shall function as the Registry for the exchange of CCCs and shall establish the necessary framework for this purpose in accordance with Section 6 of CCTS 2023, as amended from time to time.

6. FUNCTIONS OF ADMINISTRATOR -

(1) For the purpose of dealing with CCCs issued under the EC Act, the Bureau shall act as the Administrator

(2) Subject to the provisions of these regulations, the Bureau shall -

a) Formulate a detailed procedure for the transaction of CCCs after public consultation and seeking approval of the Commission for the following, in pursuance of the Carbon Credit Trading Scheme in consultation with the Registry:

i. Interface activities between Power Exchanges and Registry, Administrator and Registry, and Registry and obligated entities & non-obligated entities, or such other activities as permitted by the Commission pursuant to the CCTS;

ii. Registration of obligated and non-obligated entities with the Registry;

iii. Dealing, transfer, and other residual matters in relation to CCCs.

b) provide assistance to the Commission in the matters involving the transaction of CCCs on Power Exchanges or such other mode as may be permitted pursuant to the CCTS;

c) disseminate relevant market information to all stakeholders;

d) monitor to ensure that the exchange of CCCs takes place in a transparent manner and report instances of non-compliance with these Regulations to the Commission;

e) provide relevant information regarding Obligated Entities and Non- Obligated Entities to the Registry;

f) adhere to all compliance under the EP Act and EC Act pertaining to CCCs.

g) intimate the Registry regarding the expiry of CCCs from the accounts of the concerned Obligated Entity and Non-Obligated Entities; and

h) coordinate with the Power Exchanges or such other entity as directed by the Commission, and Registry for a smooth interface for the exchange of CCCs; and

i) discharge such other functions as may be assigned under these Regulations.

7. VALUE AND VALIDITY OF CARBON CREDIT CERTIFICATE –

(1) The value of the carbon credit certificate shall be as specified in sub- paragraph 1(c) of Section 2 of the Carbon Credit Trading Scheme, 2023, as amended from time to time.

(2) The validity of the carbon credit certificate shall be as specified in the Detailed Procedure for Compliance Mechanism for certificates issued under the Compliance Mechanism and in the Detailed Procedure for Offset Mechanism for certificates issued under the Offset Mechanism, developed under Section 12 of the Carbon Credit Trading Scheme, 2023, as amended from time to time.

8. **CATEGORY OF CERTIFICATES -**

(1) CCCs shall be categorised by the Bureau for the obligated and the non- obligated entities.

(2) The Commission may, on an application made in this behalf, permit the introduction of such category of CCCs in accordance with the Power Market Regulations.

9. **DEALING IN THE CERTIFICATES -**

(1)Unless otherwise specifically permitted by the Commission by order pursuant to the CCTS, the CCCs shall be dealt with only through the Power Exchange and not in any other manner.

(2)There shall be two separate market segments for dealing in CCCs, namely, the Compliance Market for the Obligated entities and the Offset Market for the non-obligated entities.

(3) The CCCs issued to the obligated or the non-obligated entities by the Bureau on the approval of the Central Government and credited in the CCC Registry upon payment of stipulated fees may be placed for dealing in any of the Power Exchanges or in any other or mode permitted pursuant to the CCTS and such CCCs shall be available for dealing in accordance with the Rules, Business Rules and Bye-Laws of the relevant entities, as the case may be.

(4) The frequency of transactions of CCCs shall be on a monthly basis or in such periodicity for all registered entities as per the procedure approved by the Commission.

(5) All CCCs shall be dealt with as per the provisions of the EC Act, 2001, the EP Act 1986, CCTS 2023, and these Regulations, as amended from time to time.

(6) Power Exchanges or the permitted entities shall obtain prior approval of the Commission on the Rules, Business Rules, and Bye-Laws, including the eligibility criteria, CCCs' price discovery mechanism, and process of interaction between the Power Exchange or any other permitted entity and Registry, which inter alia shall include the following -

i. All the obligated and the non-obligated entities that intend to participate in the dealing of CCCs on Power Exchange or the permitted entity shall register themselves with the Power.

ii. Exchange or the permitted entity, and ii. The CCCs issued and credited in the registry upon payment of stipulated fees, to the obligated or the non-obligated entity, may be placed for dealing in any of the Power Exchanges or the permitted entity as the CCC holder may consider appropriate. Such CCCs shall be available for dealing in accordance with the Rules, Business Rules, and Bye-rules of such Power Exchanges(s) or the permitted entity.

(7) In any bidding session, an obligated or non-obligated entity shall not place sale bids in excess of the total CCCs held in its Registry Account.

(8) The Registry shall cross-check the cumulative sale bids placed on all the Power Exchanges or the permitted entity with the availability of CCCs in the respective Registry account(s). In case a breach of this sub-regulation is noticed, the Registry shall intimate the Power Exchanges or the permitted entity to treat such obligated or non-obligated entity as a defaulter, and any bid submitted by such entity shall not be considered by the Power Exchange or the permitted entity for the purpose of price discovery. The bids submitted by such bidders shall become void and ineffective if the total sale bids submitted by such entity on all the Power Exchanges or the permitted entity are more than the available CCCs in their Registry account.

(9) The Obligated or non-obligated entities with more than three cases of default specified in sub-regulation 9(8) in a quarter shall be barred from dealing with CCCs for the next six months, notwithstanding any penalty due to be imposed as per the provisions of the Energy Conservation Act, 2001. The list of such defaulting entities shall be published by the Registry on a monthly basis.

(10) The Power Exchanges or the permitted entity shall -

i. Send reports for the executed transactions, financial obligation, and all other relevant reports to the respective entities;

ii. Report to the Registry, after every dealing session, details of the CCCs transacted by the eligible entities. On a successful transaction on Power Exchange or the permitted entity, the Registry Accounts of the eligible entities shall be updated, whereby the sellers' accounts shall be debited, and the buyers' accounts shall be credited.

10. **BANKING AND SURRENDER OF CCCS**

The Banking and Surrender of CCCs shall be as specified in the Detailed Procedure for Compliance Mechanism and Offset Mechanism of the CCTS 2023, as amended from time to time.

11. **PRICING OF CERTIFICATE -**

(1)The denomination of one CCC shall be as per clause 2(1) (c) of the CCTS Scheme 2023, which shall be equal to a reduction, removal or avoidance of greenhouse gas emissions achieved and shall be equivalent to one ton of carbon dioxide equivalent (tCO2e).

(2)The market price of CCC shall be as discovered at the respective Power Exchange or the permitted entity through the process as approved by the Commission.

(3) The CCCs shall be exchanged within the floor and forbearance price under the Compliance mechanism, which shall be as approved by the Commission on a proposal to be submitted by the Bureau.

(4) The Commission may, by order, give such directions to the Power Exchange(s) or the permitted entity or the Registry as may be considered necessary, on being satisfied that any of the following circumstances exist or are likely to occur:

(a) Abnormal increase or decrease in prices of CCCs;

(b) Sudden volatility in the prices of CCCs; and

(c) Sudden high or low dealing of CCCs on a Power Exchange or the permitted entity.

12. **FEES AND CHARGES -**

The Commission, in consultation with the Bureau, may from time to time determine, by order, the fees and charges payable by the obligated and the Non- obligated entities to the Registry for the purpose of meeting the costs and expenses towards the management of the Registry and the software platform.

13. **MARKET OVERSIGHT -**

The Commission, assisted by the Bureau, shall exercise market oversight over CCCs on Power Exchanges or the permitted entity in accordance with the Power Market Regulations.

14. **POWER TO RELAX -**

The Commission may, by general or special order, for reasons to be recorded in writing, and after giving an opportunity of hearing to the parties likely to be affected by the grant of relaxation, relax any of the provisions of these regulations on its own motion or on an application made before it by any affected party.

15. **POWER TO ISSUE DIRECTIONS -**

If any difficulty arises in giving effect to these Regulations, the Commission may, on its own motion or on an application filed by any affected party, issue such directions as may be considered necessary in furtherance of the objective and purpose of the Regulations.

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./61/2026-27]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA